ए.एफ. आर.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(खण्डपीठ)

दाण्डिक अपील क्रमांक 457/1992

दीदा उर्फ जगदेश्वर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचार हेतु निर्णय

सही/-

वी.के. श्रीवास्तव

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन

सही/-

फखरुद्दीन

न्यायाधीश

प्रेषित 17/08/2005

सही/-

न्यायाधीश

17/08/2005

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(खण्डपीठ)

कोरम: माननीय श्री फखरुद्दीन, न्यायाधीश और

माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 457/1992

अपीलार्थी — दीदा उर्फ जगदेश्वर
आत्मज लुरु उरांव
उम्र 19 वर्षीय
निवासी – ग्राम रेरे थाना बागबहरा
जिलाः रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिवादी — छत्तीसगढ़ राज्य
द्वाराः थाना प्रभारी
बागबहरा,
जिलाः रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

उपस्थित

अपीलार्थी की ओर से सुश्री निशा चतुर्वेदी , वकील

प्रतिवादी/राज्य की ओर से श्री यू.एन.एस. देव, सरकारी वकील,

सह श्री अखिल मिश्रा, पैनल वकील

निर्णय

(पारित दिनांक 17/08/2005)

द्वारा विजय कुमार श्रीवास्तव, जे.

यह अपील द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 148/91 में दिनांक 05/02/1992 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरूद्ध निर्देशित है, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है तथा आजीवन कारावास एवं 200/– रूपये के जुर्माना, जुर्माना न पटाने पर एक महिने का और कठोर कारावास की सजा दी गई है ।

2) मृतका सुषमा शोभित राम की पुत्री है तथा अपीलार्थी उसका साला है। घटना दिनांक 06/08/1991 है। घटना दिनांक से पूर्व अपीलार्थी सुषमा को पत्नी बनाकर अपने साथ ले गया था, किन्तु अभियुक्त के परिवार वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया, अतः सुषमा अपने मायके आ गई। तत्पश्चात अपीलार्थी ने एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया तथा सुषमा ने अपीलार्थी के साथ रहने से इंकार कर दिया। अभियुक्त का सुषमा के साथ संबंध भी शोभित राम तथा उसके परिवार वालों को नापसंद था। इन सभी तथ्यों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी दिनांक 06/08/1991 को शोभित राम के घर आया तथा कुल्हाड़ी से सुषमा की गर्दन पर कई वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। शोभित ने देखा कि अपीलार्थी ने उसकी पुत्री सुषमा की गर्दन पर कई वार किए। सुषमा की हत्या करने के बाद अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी वहीं फेंक दी और भाग गया। जब अपीलार्थी सुषमा की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था, तब शोभित राम ने शोर मचाया। आवाज सुनकर हरि सिंह वहां आ गया। हरि सिंह और शोभित राम सुषमा के पास पहुंचे तो देखा कि सुषमा मर चुकी थी। शोभित राम ने थाना बागबहार में प्रथम सूचना रिपोर्ट व मर्ग सूचना दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) पुलिस अधिकारी वहां आए तथा शव का पंचनामा तैयार कर शव को शवपरीक्षण हेतु भेज दिया। अन्वेषण के दौरान शोभित राम से घटनास्थल पर अपीलार्थी द्वारा छोड़ी गई कुल्हाड़ी जब्त की गई, जिसने उसे प्रस्तुत किया था। घटनास्थल से रक्त के धब्बे वाली मिट्टी व सादी मिट्टी जब्त की गई। पटवारी द्वारा नक्शा तैयार किया गया तथा कुल्हाड़ी की पहचान भी की गई। मृतका के वस्त्र जब्त किए गए। कुल्हाड़ी को भी चिकित्सा अधिकारी के पास अभिमत के लिए भेजा गया। गवाहों के कथन दर्ज किए गए। डॉ. कैलाश दुबे ने शव परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कु. सुषमा के शरीर पर पाए गए विभिन्न चोटों का वर्णन किया और कथन किया कि कु. सुषमा की मौत सदमे और कोमा (गंभीर रक्तस्राव) के कारण हुई और मौत की प्रकृति हत्यात्मक बताया। मृतका सुषमा के शरीर पर पाए गए सभी घाव धारदार वस्तु के कारण तथा मौतपूर्व थे। उन्होंने आगे कथन किया कि सुषमा के शरीर पर जो चोटें पाई गई हैं, वे कुल्हाड़ी से वार किए जाने के कारण हो सकती हैं। अन्वेषण पूर्व होने के उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सुनवाई हेतु सत्र न्यायालय को सौप दिया।

4) विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए। अभियोग–पत्र पढ़कर सुनाया और उसे समझाया गया, जिसने अपना अपराध अस्वीकार किया। अपीलार्थी का बचाव यह था कि वह निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध कारित करने हेतु दोषी माना एवं तदनुसार उसे सिद्धदोष एवं दण्डित किया।

5) पक्षकारों के सुना तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया ।

6) चिकित्सक कैलाश दत्त दुबे (पीडब्लू/13) ने अपने साक्ष्य में बयान दिया कि दिनांक 07/08/1991 को उन्होंने कु. सुषमा के शव का शवपरीक्षण किया तथा शव परीक्षण के दौरान उनके शरीर पर निम्नानुसार चोटें पाईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1) मध्य गर्दन के सामने दाईं ओर 3" x 2" x 2" गहरा कटा घाव।

2) गर्दन के आधार के सामने दाईं ओर 3" x 2" x 2»%" गहरा कटा घाव।

3) गर्दन के बाईं ओर तिरछे आधार पर 2" x 1" x 2%" गहरा कटा घाव।

4) कंधे के बाईं ओर सुप्रा स्कैपुलर स्पेस पर 3%" x 2" x 2%" गहरा कटा घाव।

5) गर्दन के बीच बाईं ओर पार्श्व में %" x %" x 1 गहरा कटा घाव।

7)उन्होंने आगे यह भी बयान दिया कि घाव क्रमांक 2 अर्थात गर्दन के आधार पर कटा घाव खोलने पर उन्होंने पाया कि आंतरिक जुगुलर नस कटी हुई थी, हृदय धमनी कटी हुई थी तथा क्रमांक 3 में बायीं श्वास नली में धमनी और नस कटी हुई थी। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया कि मौत सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी। सभी चोटें धारदार वस्तु से लगी थीं और मौत की प्रकृति हत्यात्मक थी। उनकी रिपोर्ट प्र.पी/17 है। उन्होंने कुल्हाड़ी के परीक्षण के उपरांत यह भी अभिमत दिया मृतका को सभी चोटें कुल्हाड़ी की धार से लगी थीं। न तो उनके साक्ष्य को प्रतिपरीक्षण में चुनौती दी गई और न ही उनके साक्ष्य में कोई दौर्बल्यता है, अतः डॉ. कैलाश दत्त दुबे के साक्ष्य से यह साबित हुआ कि कु. सुषमा की

मौत शरीर के महत्वपूर्ण भाग अर्थात गर्दन पर कुल्हाड़ी जैसी धारदार वस्तु से आई कई चोटों के परिणामस्वरूप हुई।

8) मृतका सुषमा के पिता शोभित राम ने अपने साक्ष्य में बयान दिया कि शाम करीब पांच बजे वह बाजार से अपने घर वापस आया। उसने अपनी पुत्री तथा अपीलार्थी को बरामदे में देखा। अपीलार्थी ने उसे देखा और कुल्हाड़ी से तीन वार किए। उसने सुषमा की गर्दन पर दो वार किए और एक वार उसके सीने के पास किया। सुषमा गिर गई और अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी वहीं फेंक दी और भाग गया। उसने चिल्लाकर कहा कि दीदा (अपीलार्थी) ने सुषमा को टंगिया से मार दिया है। आवाज सुनकर हरि/सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उस समय अपीलार्थी घटनास्थल से भाग रहा था। वे सुषमा के पास गए और उसके शरीर पर चोटें देखीं, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं।

9) हरि सिंह (पीडब्लू/2) ने अपने बयान में कहा कि शाम करीब 5:00 बजे उसके चाचा की चीखें सुनाई दीं, जिनकी आवाज में लग रहा था कि हरि सिंह " दौडों दीदा ने सुषमा को टंगिया से मार दिया है" वह आवाज सुनकर दौड़कर शोभित राम के घर पहुंचा। उसने देखा कि बरामदे में सुषमा का शव पड़ा था तथा अभियुक्त वहां से भाग रहा था। उसने सुषमा के शरीर पर गर्दन और छाती के पास चोट के निशान देखे। सुषमा खून से लथपथ थी और उसकी मौत भी हो चुकी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) सोमनाथ (पीडब्लू/3), ढूंढ राम (पीडब्लू/10), कु. नान बाई (पीडब्लू/12) ने अपने बयान में कहा है कि शोभित राम से उन्हें ज्ञात हुआ कि दीदा ने कुल्हाड़ी से वार करके सुषमा की हत्या कर दी है। उन्होंने सुषमा का शव देखा और उसके शरीर पर चोट के निशान भी देखे। उन्होंने वहां कुल्हाड़ी भी पड़ी देखी।

11) शोभित राम (पीडब्लू1) और गणेश राम साहू, प्रधान आरक्षक (पीडब्लू/17) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी./1) और मर्ग सूचना (प्र.पी.2) साबित कर दी है। शोभित द्वारा कुल्हाड़ी पेश करने पर उसे जब्त करना शोभित राम (पीडब्लू/1) और केसव नारायण (पीडब्लू/16) द्वारा साबित कर दिया गया है, ए.डी. मानिक पुरी (पीडब्लू/18) ने कुल्हाड़ी को चिकित्सा अधिकारी को प्र.पी./22 द्वारा भेजा था, जिसे ए.डी. मानिक पुरी (पीडब्लू/18) द्वारा साबित कर दिया गया है।

12) अपीलार्थी का एकमात्र तर्क यह है कि शोभित राम जो चश्मदीद गवाह है, जिन गवाहों ने अपीलार्थी को घटनास्थल से भागते हुए देखा और अन्य गवाह जिन्हें शोभित राम ने घटना के तुरंत बाद घटना के बारे में बताया, वे मृतका के निकट संबंधी हैं, अतः उनके बयान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

13) **राम उदगर सिंह बनाम बिहार राज्य, 2004 (10) एससीसी 443**,में प्रतिवेदित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 7 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

> "7 – संबंध किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रायः ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार या मित्र वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाता और वर्तमान निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाता है। यदि मिथ्या आरोप लगाने का अभिवाक किया जाता है तो आधार प्रस्तुत करना होगा। ऐसे प्रकरणों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह ज्ञात करने हेतु साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है।"

14) वर्तमान प्रकरण में निःसंदेह शोभित राम (पीडब्लू/1), हरि सिंह (पीडब्लू/2) सोमनाथ (पीडब्लू/3) कु. नान बाई (पीडब्लू/12) मृतका के निकट सम्बन्धी हैं। यह भी स्मरणीय है कि अपीलार्थी मृतका और शोभित राम से घनिष्ठ सम्बन्धी भी है। सभी गवाहों के साक्ष्यों की सूक्ष्मतापूर्वक छानबीन करने पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इन गवाहों की विश्वसनीयता पर कोई संदेह उत्पन्न हो। न तो उनका साक्ष्य उचित है और न ही उनके पास अपीलार्थी को इस प्रकरण में झूठा फंसाने का कोई कारण है। चश्मदीद गवाह शोभित राम (पीडब्लू/1) के साक्ष्य की संपुष्टि अन्य गवाहों तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा शवपरीक्षण प्रतिवेदन से भी हुई है। समस्त साक्ष्यों से यह साबित हुआ कि अपीलार्थी ने घातक आयुध कुल्हाड़ी से सुषमा के महत्वपूर्ण भाग अर्थात् गर्दन पर अनेक चोटें पहुंचाईं जिससे उसकी मौत हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15) शोभित राम(पीडब्लू/1), हरि सिंह (पीडब्लू/2), सोमनाथ (पीडब्लू/3), ढूंढ राम (पीडब्लू/10), धर्म राम (पीडब्लू/11) और कु. नान बाई (पीडब्लू/12) के साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी और सुषमा के मध्य अयुक्त संबंध थे। इससे पहले अपीलार्थी सुषमा को अपनी पत्नी के रूप में रखने के लिए अपने घर ले गया था, किंतु अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों ने इसकी स्वीकृति नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप सुषमा अपने मायके वापस आ गई, तत्श्चात अपीलार्थी ने एक अन्य स्त्री के साथ विवाह किया और सुषमा ने अभियुक्त के साथ कोई भी संबंध रखने से इंकार कर दिया, अतः यह हत्या के पीछे का मकसद प्रतीत होता है।

16) उपयोग किए गए घातक आयुध, मृतका के महत्वपूर्ण अंग पर लगी कई चोटों और उसके पीछे के मकसद को दृष्टिगत रखते हुए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर मृतका

सुषमा की गर्दन पर कई चोटें पहुंचाकर उसकी मौत का कारण बना, इसलिए वह हत्या का अपराध कारित करने का दोषी है एवं विचारण न्यायालय ने उचित निष्कर्ष निकाला है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई दोष नहीं है।

17) फलस्वरुप, अपील विफल होती है एवं तदनुसार खारिज की जाती है।

सही/– (फखरुद्दीन) न्यायाधीश	सही/– (वी.के. श्रीवास्तव) न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : Gangadhar Rajput